प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 12 – 19 अगस्त 2019 मूल्य पांच रूपए

जयराम सरकार के कर्जों पर कांग्रेस की चिन्ता–खर्चों पर मांगा श्वेतपत्र

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अभी 250 करोड़ का और कर्ज लिया है और सरकार का कर्जभार 50,000 करोड़ का आकंड़ा पार कर चुका है। माना जा रहा है कि सरकार की वित्तिय स्थिति जिस तरह की चल रही है उसके हिसाब

से इस वित्तिय वर्ष में कर्ज लेने का आकंड़ा पिछले वर्षो की अनुपातिक तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जायेगा। आज सरकार का कर्जभार जितना हो चुका है उसका ब्याज ही शायद राज्य के अपने साधनों से मिलने वाले राजस्व से बढ़ जायेगा। इस बढ़ते कर्ज पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के चिन्ता व्यक्त करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार से उसके खर्चों पर श्वेतपत्र की मांग कर ली है। राज्य सरकार अपनी तय सीमा से अधिक कर्ज ले रही थी। इस पर वीरभद्र शासन में भी केन्द्र की ओर से वर्ष 2016 में एक चेतावनी पत्र भेजा गया था। शैल इस पत्र को अपने पाठकों के सामने रख चुकी है। ऐसा ही एक पत्र इस बार भी राज्य सरकार को मिल चुका है। बल्कि यह पत्र मिलने के बाद एजी ने भी सरकारी खर्चो को लेकर जानकारी मांगी है। सरकार कांग्रेस की मांग पर यह श्वेतपत्र जारी करती है या नही इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। यह सही है कि सरकार लगभग हर मीहने कर्ज ले रही है और यह तथ्य हर महीने प्रदेश की जनता के सामने आता भी रहा है। इस परिदृश्य में कांग्रेस का कर्जो और खर्चों पर चिन्ता करना जायज बनता है क्योंकि सरकार ने सत्ता संभालते ही राज्य की वित्तिय स्थिति पर कोई श्वेतपत्र जारी नही किया था। बल्कि विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश को आर्थिक सहायता देने के जो आकड़े प्रधानमन्त्री ने चुनावी सभाओं में रखे थे उनका सच मुख्यमन्त्री के पहले ही बजट भाषण में रखे आकंड़ो से सामने आ चुका है। शैल इन आकंड़ो को भी पाठकों के सामने रख चुका है।

इस परिदृश्य में वर्तमान स्थिति को समझने के लिये चालू वित्त वर्ष के आकंड़ो पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों के अनुसार सरकार की कुल राजस्व आया 33746.95 करोड़ रहने का अनुमान है। इसी वर्ष में सरकार का कुल राजस्व व्यय 36089.03 करोड़ रहेगा। इन आकंड़ो के मुताबिक सरकार का खर्च उसकी आये से 2342.08 करोड़ बढ़ जाता है। सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां 8357.48 करोड़ और पूंजीगत खर्च 8298.70 करोड़ रहने का अनुमान है। इसमें सरकार के 58.78 करोड़ बच जाते हैं। इस तरह वर्ष में सरकार को कुल 2283.30 करोड़ की कमी रह जाती है। जिसे पूरा करने के केवल 2283.30 करोड़ का कर्ज लेने की आवश्यकता होगी। परन्तु अभी तक ही सरकार इससे अधिक का कर्ज ले चुकी है। इसलिये यह चिन्ता करना वाजिब है कि जब इन आकंड़ो के अनुसार सरकार को हर माह 200 करोड़ से भी कम कर्ज लेने की आवश्यकता है तो फिर इससे अधिक का कर्ज क्यों लिया जा रहा है। क्या मुख्यमन्त्री को आय और व्यय के सही आंकड़े नही दिये जा रहे हैं?

सरकार के अपने साधनों से उसकी राजस्व आय वर्ष 2017–2018 में 9470.43 करोड़, 2018–19 में 10,229.12 करोड़ और 2019–20 में 10,364.28 करोड़ अनुमानित है। जबकि 2017–18 में पूंजीगत प्राप्तियां 6866.55 करोड़, 2018–19 में 7764.75 करोड़ और 2019–20 में 8357.48 करोड़ होंगी। यहां यह समझना आवश्यक है कि पूंजीगत प्राप्तियां भी कर्ज ही होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों का प्रावधान इसलिये रखा गया है ताकि इस निवेश से सरकार अपने आय के साधन बढ़ा सके। लेकिन उपरोक्त आकंड़ो को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शायद यह निवेश साधन बढ़ाने पर नही हो रहा है। इसकी पुष्टि सरकार के राजस्व व्यय के आंकड़ों से हो जाती है। वर्ष 2017–18 में यह व्यय 27053.16 करोड़, 2018–19 में 33567.96 करोड़ और 2019–20 में 36089.03 करोड़ होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस अनुपात में व्यय बढ़ रहा है उसी अनुपात में साधन नही हैं यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है कि इस समय सरकार ने 13 सार्वजनिक उपक्रमों और सहकारिता में जो 5149.05 करोड़ की प्रतिभूतियां दे रखी हैं उनमें ही करीब 2400 करोड़ की प्रतिभूतियां जोखिम वाली हो चुकी हैं। सरकार की यह स्थिति तब है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी और पेयजल तथा वानिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिकांश योजनाएं केन्द्र के 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित हो रही हैं। यह दुर्भाग्य है कि केन्द्र की इतनी उदार सहायता के बावजूद प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इससे यह आशंका होना स्वभाविक है कि आर्थिक प्रबन्धन केवल कर्ज प्रबन्धन होकर ही तो नही रह गया है।

भीड़ हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन राष्ट्रपति को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन

शिमला/शैल। देश में अल्पसंख्यकों और हाशिये पर रह रहे लोगों के खिलाफ हो रही भीड़ हिंसा के खिलाफ **PEOPLE UNITE AGAINST HATE** के बैनर तले हुए धरने प्रदर्शन के बाद मंच के

पच्चीस लोगों ने डी सी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में इस तरह की हिंसा पर चिन्ता और रोष प्रकट करते हुए ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की गयी है।

इस अवसर पर मंच की संयोजक डिंपल आमरीन ओबराय वहाली ने कहा कि मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश दिया है, उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मई 2015 से दिसंबर 2018 तक देश के 12 राज्यों में मॉब लिचिंग के तहत 44 लोगों की हत्या की गई है। इनमें से 17 लोग अकेले झारखंड के ही हैं। इसके अलावा बीस राज्यों में घटित हुई सौ विभिन्न घटनाओं में 280 लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका जिक्र हयूमन राइटस वॉच की रिपोर्ट में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि मॉब लिचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा संज्ञान लिया है व कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अधिकांश राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और नफरत का जहर फैलाने वाले अपना काम जारी रखे हुए हैं। तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इससे अल्पसंख्यकों व दलितों में दहशत का माहौल है।

इस मौके पर बालूगंज मदरसे के संचालक मौलाना मुमताज अहमद कासमी ने कहा कि यह प्रदर्शन हिंदुस्तानी तहजीब, संस्कृति और हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए है। कासमी ने कहा ये सरकार लोगों को गुमराह कर कमजोर तबके को परेशान करने में लगी है। इस देश का मुस्लिम अनुच्छेद 370, 35 ए और तीन तलाक के खिलाफ नहीं है लेकिन जिस तरीके व गरूर के साथ इनको हटाया गया है, ये प्रदर्शन उसके खिलाफ है। मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की तालीम न तो गीता और न ही रामायण और न ही कुरान देती है। लेकिन कुछ ताकतें कमजोर तबके को खत्म करने का मंसूबा पाले हुए है। यह विरोध उसी के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई बेगुनाह मारा जाता तब वह न हिंदू होता है न सिख होता न ईसाई होता है और न ही मुसलमान होता है। वह केवल और केवल हिंदुस्तानी होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समुदाय कानून बनाने के खिलाफ नहीं है लेकिन अगर कानून घमंड व गरूर के तहत बनाया जाए व नफरत फैलाई जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार कमजोरों को जमूहरियत के नाम पर दबाना चाहती है।

इस मौके पर गुडिया मंच के संयोजक विकास थापटा ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर रोहडू व चौपाल में भी हमले हुए हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए।

हिमालय स्टूडेंट एसोसिएशन की रणजोत ने कहा कि पहलू खान लिचिंग मामले में दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

क्या प्रभावशाली लोगों के आगे सरकार और कानून का बौना पड़ना मजबूरी है–कुकरेजा प्रकरण में उठी चर्चा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नवम्बर 2016 को एनजीटी का फैसला

आने के बाद अढ़ाई मंजिल से अधिक के भवन निर्माण पर रोक लग गयी है। इस फैसला का कई हल्कों ने विरोध किया है। सरकार भी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील में गयी हुई है परन्तु अभी तक इसमें कोई राहत नही मिली है और न ही इस फैसले पर कोई स्टे लगा है। ऐसे में यह फैसला इस समय पूरी तरह प्रभावी है और इस पर अमल सुनिश्चित करना सरकारी तन्त्र की जिम्मेदारी है। लेकिन संवद्ध सरकारी तन्त्र यह अमल सुनिश्चित करने में पूरी तरह असफल हो रहा है। तन्त्र की यह असफलता राजनीतिक दबाव के चलते है या पैसे के प्रभाव के कारण है यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन इस फैसले को सीधे-सीधे अंगूठा दिखवाया जा रहा है यह सामने है।

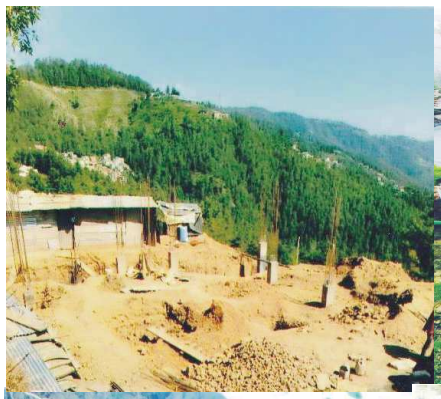

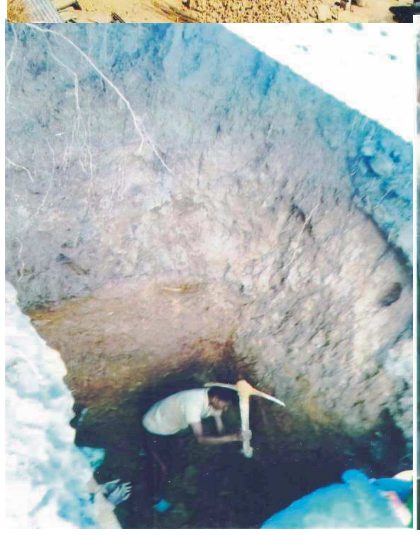

प्राप्त विवरण के मुताबिक शिमला के सरकुलर रोड़ की निवासी रानी कुकरेजा शिमला के मशोबरा सडोहरा में एक भवन बना रही है। इस निर्माण की अनुमति उन्हें टीसीपी से 15-9-2012 में मिली थी। टीसीपी के अनुमति पत्र की शर्त संख्या 19 के मुताबिक यह अनुमति केवल तीन वर्ष के लिये वैध थी और 14-9-15 को समाप्त हो जानी थी। लेकिन इस अवधि में यह निर्माण कार्य शुरू नही हो पाया। इस पर अनुमति की अवधि बढ़ाने का टीसीपी से अनुरोध किया गया और यह अनुरोध स्वीकार करते हुए टीसीपी ने 2-12-15 को पत्र लिखकर 15000 रूपये की फीस इस संद्धर्भ में जमा करवाने के निर्देश दिये ताकि यह फीस आने के बाद अनुमति बढ़ाने का पत्र जारी किया जा सके। इस तरह दिसम्बर 2016 तक की अनुमति मिल गयी। अनुमति की शर्त संख्या 15 के अनुसार The NOC from this at plinth level at every hour level shall be mendatory obtained from the competent authority CE, SADA kufri shoghi otherwise the permission shall withdrawn. लेकिन 2-12-2015 के टीसीपी के पत्र के बाद 15000 रूपये की फीस जमा करवाकर यह एक वर्ष की एक्सटैन्शन हासिल की गयी या नही इसका कोई रिकार्ड सामने नही आया है। जबकि जब यह निर्माण शुरू हुआ तब इसकी शिकायतें आना भी शुरू हो गयी। आरटीआई के माध्यम से सारा रिकार्ड हासिल किया गया। शिकायतकर्ता एक सूर्यकान्त भागड़ा के मुताबिक यह निर्माण ही मई 2019 में शुरू हुआ है। भागड़ा ने अपनी शिकायत में प्लॉट के 2017, 2018 और 2019 के फोटो साथ लगाये हैं। भागड़ा की शिकायत 29 मई 2019 की है।

भागड़ा की शिकायत पर कारवाई करते हुए 27-6-2019 को सहायक टाऊन प्लानर टीसीपी रानी कुकरेजा को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि वह इस अवैध निर्माण को तुरन्त बन्द कर दें। टीसीपी के 27-6-2019 के पत्र में साफ कहा गया है कि इस निर्माण के लिये 15-9-2012 को ली गयी अनुमति समाप्त हो गयी है। टीसीपी के इस पत्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 2015 में 15000 रूपये की फीस जमा करवाकर एक साल का अनुमति विस्तार भी नही लिया गया है। क्योंकि टीसीपी 27-6-2019 के पत्र में इसका कोई जिक्र ही नही है। भागड़ा ने रानी कुकरेजा द्वारा यह ज़मीन खरीदने के लिये हासिल किये गये कृषक प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पर भी सन्देह जाहिर किया है। इस कृषक प्रमाण पत्र को लेकर भी डीसी शिमला के पास शिकायत अब तक लंबित चल रही है। वैसे एक वर्ष का अनुमति विस्तार भी 13-9-2016 को समाप्त हो जाता है।

रानी कुकरेजा के इस निर्माण की वैधता पर टीसीपी के 27-6-2019 के पत्र से ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि यह निर्माण अनुमति के बिना किया जा रहा है। टीसीपी ने यह पत्र मौके पर जाकर निर्माण का निरीक्षण करने के बाद जारी किया है। परन्तु टीसीपी के पत्र के बाद भी निर्माण जारी है। टीसीपी ने यह पत्र लिखने के अतिरिक्त और कोई कारवाई नही की है जब कि उसके पास निर्माण को रोकने के लिये पुलिस की सेवाएं लेने का पूरा अधिकार है कसौली प्रकरण में यह सब कुछ सामने आ चुका है। मशोबर भी कसौली ही की तरह का संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में यह सवाल उठने स्वभाविक है कि एनजीटी के फैसले और कसौली प्रकरण के बाद भी यदि इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं तो यही मानना पड़ेगा कि सरकार और कानून सही में ही ''प्रभाव'' के आगे बौने हो गये हैं क्योंकि इस मामले की एक ऑन लाईन शिकायत मुख्यमन्त्री को डायरी न. 151351 और 137429 के तहत उनके शिकायत सैल को भी भेजी गयी थी

Date: 18th July 2019

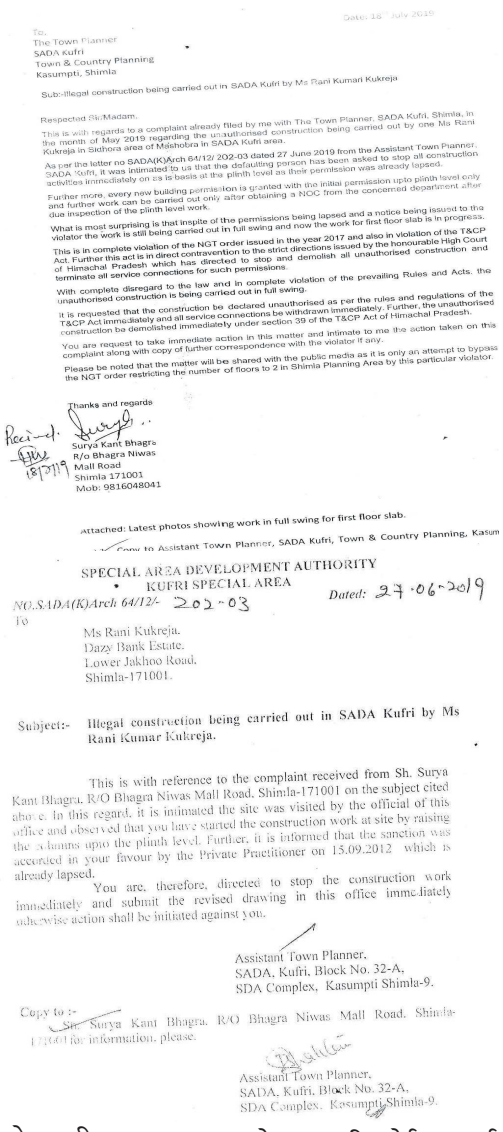

To,
The Town Planner
SADA Kufri
Town & Country Planning
Kasumpti, Shimla

Sub:-Illegal construction being carried out in SADA Kufri by Ms Rani Kumari Kukreja

Respected Sir/Madam,

This is with regards to a complaint already filed by me with The Town Planner, SADA Kufri, Shimla, in the month of May 2019 regarding the unauthorised construction being carried out by one Ms Rani Kukreja in Sidhora area of Mashobra in SADA Kufri area.

As per the letter no SADA(K)Arch 64/12/ 202-03 dated 27 June 2019 from the Assistant Town Planner, SADA Kufri, it was intimated to us that the defaulting person has been asked to stop all construction activities immediately on as is basis at the plinth level as their permission was already lapsed.

Further more, every new building permission is granted with the initial permission upto plinth level only and further work can be carried out only after obtaining a NOC from the concerned department after due inspection of the plinth level work.

What is most surprising is that inspite of the permissions being lapsed and a notice being issued to the violator the work is still being carried out in full swing and now the work for first floor slab is in progress.

This is in complete violation of the NGT order issued in the year 2017 and also in violation of the T&CP Act. Further this act is in direct contravention to the strict directions issued by the honourable High Court of Himachal Pradesh which has directed to stop and demolish all unauthorised construction and terminate all service connections for such permissions.

With complete disregard to the law and in complete violation of the prevailing Rules and Acts, the unauthorised construction is being carried out in full swing.

It is requested that the construction be declared unauthorised as per the rules and regulations of the T&CP Act immediately and all service connections be withdrawn immediately. Further, the unauthorised construction be demolished immediately under section 39 of the T&CP Act of Himachal Pradesh.

You are request to take immediate action in this matter and intimate to me the action taken on this complaint along with copy of further correspondence with the violator if any.

Please be noted that the matter will be shared with the public media as it is only an attempt to bypass the NGT order restricting the number of floors to 2 in Shimla Planning Area by this particular violator.

Thanks and regards
Surya Kant Bhagra
R/o Bhagra Niwas
Mall Road
Shimla 171001
Mob: 9816048041

Received. 18/7/19

Attached: Latest photos showing work in full swing for first floor slab.

Copy to Assistant Town Planner, SADA Kufri, Town & Country Planning, Kasum

SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
KUFRI SPECIAL AREA

NO.SADA(K)Arch 64/12/- 202-03 Dated: 27-06-2019

To
Ms Rani Kukreja.
Dazy Bank Estate.
Lower Jakhoo Road.
Shimla-171001.

Subject:- Illegal construction being carried out in SADA Kufri by Ms Rani Kumar Kukreja.

This is with reference to the complaint received from Sh. Surya Kant Bhagra. R/O Bhagra Niwas Mall Road. Shimla-171001 on the subject cited above. In this regard, it is intimated the site was visited by the official of this office and observed that you have started the construction work at site by raising the columns upto the plinth level. Further, it is informed that the sanction was accorded in your favour by the Private Practitioner on 15.09.2012 which is already lapsed.

You are, therefore, directed to stop the construction work immediately and submit the revised drawing in this office immediately otherwise action shall be initiated against you.

Assistant Town Planner,
SADA, Kufri, Block No. 32-A,
SDA Complex, Kasumpti Shimla-9.

Copy to :-
Sh. Surya Kant Bhagra. R/O Bhagra Niwas Mall Road. Shimla-171001 for information. please.

Assistant Town Planner,
SADA, Kufri, Block No. 32-A,
SDA Complex. Kasumpti Shimla-9.

परन्तु उसके ऊपर भी कोई कारवाई नही हुई है।

क्या अभी भी बेनामी निर्माण चल रहे हैं?

शिमला/शैल। सोलन के डगशाई क्षेत्र के खील जाशली में एक कैलाश वर्मा के माध्यम से एक बिल्डर फ्लैटस का निर्माण कर रहा है। इस

बिल्डर ने यह जमीन एक कांगड़ा के व्यक्ति के नाम पर ली है और इसके लिये संबंधित विभागों से वांच्छित अनुमतियां नही ली गयी हैं यह आरोप है एक राजीव कटारिया का जिसका अपना कॉटेज भी इसी क्षेत्र में है। राजीव कटारिया का आरोप है कि उसके काटेज से करीब 700 मीटर दूर जहां से लिंक रोड़ शुरू होता है उसकी निचली ओर से फ्लैटस बन रहे हैं। इन फ्लैटस के लिये लिंक रोड़ को जोड़ने के लिये एक सड़क का निमार्ण किया जा रहा है। कटारिया के मुताबिक यह सड़क सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई जा रही है और इसके लिये लोक निर्माण आदि संबंधित विभागों से कोई अनुमति नही ली गयी है। इस निर्माण में लोक निर्माण विभाग की पक्की सड़क को भी तोड़ा गया है। इस तरह यह निर्माण वाहनों के लिये खतरा बन गया है। बल्कि पिछले दिनों यह सड़क धस भी गई और इसमें एक टिप्पर लुढ़क गया और उसमें ड्राइवर को चोटें भी आयी परन्तु कोई शिकायत पुलिस को नही दी गयी।

कटारिया के मुताबिक इस सड़क निर्माण से उसके काटेज के रास्ते में भी परेशानी हो गयी है। वहां पर गाड़ी मोड़ने आदि में कठिनाई आ गयी है। कटारिया का आरोप है कि उसकी जमीन की ओर अतिक्रमण करके पक्का डंगा लगाया जा रहा है। कटारिया ने 20-7-2019 को इसकी सूचना डगशाई पुलिस को भी दी। पुलिस ने मौके पर दो मुख्य आरक्षी भेजे। इन्होने लोक निर्माण के संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को भी बुलाया जो वहां नही था और उसने एक इन्सपैक्टर को वहां भेजा। इन्सपैक्टर ने कैलाश वर्मा को चेतावनी दी और कैलाश वर्मा ने पुलिस को लिखकर दिया कि वह इस अतिक्रमण को तुरन्त हटा देगा परन्तु अभी तक ऐसा हुआ नही है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश वर्मा सरकारी जमीन और सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है तभी तो उसने पुलिस को लिखकर दिया। राजीव कटारिया के मुताबिक फ्लैटस के निर्माण की शायद अनुमतियां नही ली गयी हैं और जमीन किसी कांगड़ा के व्यक्ति के नाम पर ली गयी है। जमीन हिमाचली के नाम पर लेकर फ्लैटस बाहर का आदमी बना रहा है। राजीव कटारिया की शिकायत पर जब पुलिस मौके पर पंहुच जाती है और लोक निर्माण का इन्सपैक्टर भी आ जाता है तो स्वभाविक है कि इस निर्माण को लेकर भी पूरी जानकारी ली गयी होगी क्योंकि कटारिया ने यह सब अपनी शिकायतं में लिखवा हुआ है। चर्चाओं के मुताबिक फ्लैटस पटियाला के तीन लोग बना रहे हैं और जमीन कांगड़ा के एक मनीष के नाम पर है। कांगड़ा के आदमी के नाम पर जमीन होने से भूसुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता खत्म हो जाती है और निर्माण के दौरान ही जांच करने का कोई प्रयास नही किया जाता है कि जिसके नाम पर जमीन है उससे यह पूछा जाये कि निर्माण के लिये उसके पास पैसा कहां से आया। इस मामले में पुलिस और लोक निर्माण विभाग कैलाश वर्मा के लिखकर देने के बाद शांत होकर बैठ गये हैं जबकि यह निर्माण सीधे बनामी के संकेत दे रहा है।

Sir,

I am resident of village Kheel Jashali where I have my cottage on the hill side of road, which goes from the main highway to Kauron-Kaintharhi starting from Kheel Ka Morh. My cottage is at a distance of 700 meters from the point the link road starts, whereas on the lower side of the hill, a construction is going on and seems that some commercial flats are being constructed over there. While doing his construction, party constructing is making a road down side of the hill connecting to the link road and in the process without taking any measurements or permission from the concerned PWD Department. He has damaged the road and has also cut over the portion of the road to include in his road which goes downside. The said road which he has made is clearly an encroachment upon the metal portion of the PWD road as well as on the berm of the road and thus the road in front of my gate has been narrowed down and as a result thereof neither I can turn my vehicle in front of my gate nor the vehicles which are running on the road are safe to run as the road which goes down has been cut from the portion of the existing PWD metalled road. Even the cemented limiting stones fixed on the berm of road have been broken and removed.

For the last six months, I have been making requests to Shri Kailash Verma, who is the person getting the construction done at the spot to rectify this illegality, but he has always been saying that he will do, but never acceded to my requests. Recently his road which he made also caved in as a result a Tipper loaded with material over turned and fell into 'Khud' in his land which also resulted into injuries to its driver, but it seems that no information was given to the police regarding that.

On 20.07.2019, while I came to my cottage, I saw that a 'pucca dunga' was being made on the side of his land and again the encroachment on the road was made much more than earlier, so that he could have the road going down to his construction area. On my repeated requests he has just been saying that he will do the needful, but it was all in the air. I informed the matter to the local police and as a result two Head Constable from Dagshai Chowki also came, who called even Shri Gian Thakur, J.E. PWD of the area who was busy in Advocate General office in Shimla at that time, but he sent one of his Inspectors who also warned Shri Kailash Verma, for which he promised that he will rectify the things within two days and he gave it in writing to the police for the same, but till date nothing has been done rather the construction is going on at full swing and the encroachment is being made permanent.

I request you that please take immediate action and stop the construction and encroachment which is being done by the commercial builder who are getting the flats constructed through Mr. Kailash Verma by purchasing the land in name of some local resident of Kangra without the necessary permissions from the concerned departments.

An immediate action is needed to stop encroachment and further damage to the public property. I shall be highly obliged in case an early is taken and I am informed about the progress of the issue.

Thanking you,
Yours truly,
Rajiv Kataria